

सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के विभागीय संकल्प संख्या 3756 दिनांक 10/11/13 एवं पत्रांक 1780 दिनांक 3/05/2013 एवं योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/13 के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के तहत कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि० सगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा के पत्रांक 186 दिनांक 07/02/14 एवं पत्रांक 171 दिनांक 5/2/2014 के द्वारा कुल 9 योजना का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त योजनाओं के प्राक्कलनों में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इसके प्राक्कलित राशि के 80% राशि, जो स्तम्भ 6 में अंकित है कि विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

| क्र० | प्रखंड का नाम | स्वीकृति योजनाओं का नाम | तकनीकी स्वीकृति की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | विमुक्ति राशि 80 % | माननीय सदस्य का नाम |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | छपरा सदर | छपरा जिलान्तर्गत दहियाँवा में डॉ० महमूद चौक से शिक्षा मस्जिद तक नाला निर्माण। | 701400 | 701400 | 561100 | म०सां० (राज्य सभा) श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता |
| 2 | " | छपरा जिलान्तर्गत दहियाँवा मुहल्ला में डॉ० महमूद चौक से शिया मस्जिद तक पी०सी०सी० ढलाई। | 730000 | 730000 | 584000 | " |
| 3 | " | छपरा जिलान्तर्गत मुहल्ला में श्री शकील अहमद के मकान से श्री जगरनाथ राय तक नाला निर्माण कार्य। | 726600 | 726600 | 581200 | " |
| 4 | गड़खा | गड़खा प्रखंडन्तर्गत हकमा गाँव के रविन्द्र पाण्डेय के धर से बबन बाड़ी जाने वाली सड़क पी०सी०सी० ढलाई निर्माण कार्य। | 501900 | 501900 | 401500 | " |
| 5 | " | गड़खा प्रखंडन्तर्गत गड़खा गाँव से हकमा गाँव की ओर जाने वाली सड़क में पी०सी०सी० ढलाई का कार्य। | 745800 | 745800 | 596600 | " |
| 6 | " | गड़खा पंचायत के मीठेपुर पंचायत के वीवीपुर ग्राम के गण्डक नदी छठ घाट का निर्माण कार्य। | 565100 | 565100 | 452000 | " |
| 7 | " | गड़खा प्रखंडन्तर्गत हकमा गाँव से गड़खा गाँव की तरफ जाने वाली सड़क का पी०सी०सी० निर्माण कार्य। | 707000 | 707000 | 565600 | " |
| 8 | " | गड़खा प्रखंडन्तर्गत मोहरमपुर ग्राम के मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क में पी०सी०सी० ढलाई। | 746500 | 746500 | 597200 | " |
| 9 | " | गड़खा प्रखंडन्तर्गत के जलाल बसंत गाँव में रामप्रवेश सिंह के घर से रमण मौंझी के घर तरफ जाने वाली सड़क में पी०सी०सी० ढलाई। | 746000 | 746000 | 596800 | " |
| | | कुल योग :- | 6170300 | 6170300 | 4936000 | |

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (एकसठ लाख सत्तर हजार तीन सौ रुपये मात्र)
विमुक्ति राशि (उनचास लाख छत्तीस हजार रुपये मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि० सगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की मिल्ती जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानातरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निर्बंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबावदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

20/-
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 198/यो० दिनांक 20/09/14

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि० सगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नाजीर जिला योजना कार्यालय सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव योजना एवं विकास बिहार पटना /क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर एन० आई० सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

E. Prasad
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।